भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 974
दिनांक 5 फरवरी, 2026

आंध्र प्रदेश में एसएटीएटी योजना

†974. **श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (एसएटीएटी) योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की संख्या का राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल और गैस विपणन कंपनियों द्वारा सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को जारी किए गए आशय पत्रों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 तक स्थापित किए जाने वाले सीबीजी संयंत्रों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की सीबीजी संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करने की योजना का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) सरकार ने पूरे देश में संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए, गैल्वोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस धन (गोबरधन) पहल के तहत कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए "समग्र सरकार" दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में सीबीजी परियोजनाओं के लिए एक सहायक पारितंत्र बनाने के लिए विभिन्न नीति और संस्थागत सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिनमें वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत) ऐसी ही एक पहल है।

इन सुविधाओं में सतत पहल के तहत ओजीएमसी के साथ लंबे समय के करार के माध्यम से सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए सुनिश्चित मूल्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की समग्र योजना, जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छ भारत मिशन शहरी

2.0 के तहत नगर निगम ठोस कचरा-आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्र से उत्पादित जैव-खाद को किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; उर्वरक विभाग द्वारा सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' में शामिल करना; आरबीआई द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; और सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों द्वार ऋण उत्पाद शामिल हैं।

इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए दिशानिर्देश निर्गत करने; नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क और राष्ट्रीय गैस ग्रिड में सीबीजी को इंजेक्ट करने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास की योजना; बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) योजना की अधिप्राप्ति के लिए सीबीजी उत्पादकों को सहायता देने संबंधी योजना; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी (टी) एवं पीएनजी (डी) खण्ड में सीबीजी की चरण-वार अनिवार्य बिक्री जैसी पहल की हैं।

सतत, जो एक वर्तमान पहल है, के तहत तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) द्वारा उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र प्लांट लगाने के लिए 1086 सक्रिय आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं।

पक्षकार अपने स्वतंत्र तकनीकी-वाणिज्यिक आंकलन के आधार पर सीबीजी संयंत्र लगाते हैं। गोबरधन पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनाँक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार गोबरधन और सतत पहल के तहत कुल 189 संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र लगाए गए हैं, जिनमें से 7 संयंत्र आंध्र प्रदेश में हैं। देश भर में चालू सीबीजी संयंत्रों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'आंध्र प्रदेश में एसएटीएटी योजना' के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 974 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश भर में चालू किए गए सीबीजी संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा (दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	संयंत्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	7
असम	0
बिहार	1
छत्तीसगढ	3
दिल्ली	2
गोवा	1
गुजरात	26
हरियाणा	20
झारखंड	1
कर्नाटक	20
केरल	0
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	20
ओडिशा	1
पंजाब	10
राजस्थान	9
तमिलनाडु	8
तेलंगाना	6
उत्तर प्रदेश	37
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	2
कुल	**189**

(स्रोत: गोबरधन पोर्टल)